आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–82/2017

अंचल अधिकारी, खगड़िया.....वादी

बनाम्

अमरनाथ कुमार.....प्रतिवादी

आदेश

28/7/21

प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–456 दिनांक–25.01.20 एवं उसके साथ संलग्न जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 39/19–20 एवं राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर धारित किया गया है। प्रस्तुत वाद में सन्निहित भूमि का विवरण निम्न है :–

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
मथुरापुर	205	1839	0–1–0

आवेदक का कथन है कि जमाबंदी सं0 132 में वसौड़ी दर्ज है। खतियान से मिलान करने पर पाया गया है कि खतियानी रैयत के पोता के नाम जमाबंदी सं0 132 कायम है। आवेदक ने यह उल्लेखित किया है कि वर्ष 1916 में तत्कालीन राजस्व कर्मचारी ने वसौड़ी रकवा का बिना खाता खेसरावार रकवा स्पष्ट किये दाखिल खारिज वाद सं0 1020/16–17 द्वारा रकवा 0–1–0 घटाकर जमाबंदी सं0 4316 कायम कर दिया है। नापी से स्पष्ट हुआ है कि जमाबंदी सं0 132 में गैरमजरूआ खास खाते की है। अतः अंचल अधिकारी, खगड़िया ने जमाबंदी सं0 4316 को रद्द करने की अनुशंसा की है।

प्रस्तुत वाद में विपक्षी वकालतन उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। उन्होंने कथन किया है कि जमाबंदी सं0 132 में खेसरा 1839 की भूमि सन्निहित थी जिसे उन्होंने जमाबंदी रैयत के पोता अनन्त कुमार से निबंधित केवाला दिनांक–03.05.16 के द्वारा क्रय किया। तत्पश्चात् नामान्तरण वाद सं0 1020/16–17 दायर किये जिसमें प्रथमतः अंचल अमीन से विपक्षी के केवाला अनुसार मापी कराया गया और पाया गया कि केवाला में वर्णित चौहद्दी के अनुसार विपक्षी खेसरा सं0 1839 के भूमि पर दखलकार है। इस प्रकार जमाबंदी सं0 132 में सन्निहित वसौड़ी रकवा का खेसरावार नापी के उपरान्त प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण विपक्षी के नाम से जमाबंदी सं0 132 से रकवा खारिज कर जमाबंदी नं0 4316 दर्ज किया गया। विपक्षी का आगे कथन है कि वास्तव में राजस्व कर्मचारी भूमाफिया के दबाव में जमाबंदी नं0 4316 का प्रस्ताव भेज दिये।

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश गई कार्रव. बारे में टिप्प. तारीख के सा.
1	2	3
	अभिलेख में उपलब्ध मापी प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि खेसरा 1839 की मापी ही नही की गयी। जबकि पूर्व अंचल अमीन ने खेसरा 1839 के मापी के दरम्यान विपक्षी का दखल पाया गया। विपक्षी का यह भी कथन है कि राजस्व कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में एक जगह जमाबंदी नं0 132 को वसौड़ी भूमि से संबंधित बताया है तो उसी प्रतिवेदन में उसी जगह गैरमजरूआ खास बताया है। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्व कर्मचारी ने विरोधाभाषी प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तुत अभिलेख प्रेषित करवाया है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रस्तुत वाद को खारिज करने की याचना किये है। विपक्षी अपने कथन में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किये है :– 1. दिनांक–03.05.16 केवाला की छायाप्रति। 2. प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में मापी प्रतिवेदन दिनांक–28.09.16 की छायाप्रति। 3. दाखिल खारिज वाद सं0 1020/16–17 का आदेशफलक प्रस्तुत वाद में सहायक सरकारी अधिवक्ता मंतव्य में उल्लेखित किया है कि आवेदक का प्रस्ताव राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन के नापी प्रतिवेदन पर आधारित है। इसमें विरोधाभाष है तथा विपक्षी के जमाबंदी सं0 4316 के गठन के समय अंचल अमीन को प्रतिनियुक्त कर जमाबंदी नं0 132 के वसौड़ी रकवा को मापी कर रकवा बनाया गया तथा विपक्षी का प्रश्नगत जमीन पर दखल पाकर जमाबंदी नं0 132 से प्रश्नगत रकवा खारिज कर 4316 का गइन किया गया। परन्तु वर्त्तमान प्रस्ताव में संलग्न मापी प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत खेसरा का मापी नहीं की गयी तथा भ्रामक प्रतिवेदन के आधार पर जमाबंदी सं0 4316 का रद्दीकरण प्रस्ताव प्रेषित किया गया। उभय पक्षों की सुनवाई, विवेचन एवं अभिलेख पर साक्ष्यों में उल्लेखित है कि जमाबंदी सं0 132 खाता खेसरा पंजी–II में दर्ज नहीं है और गठन का कोई प्राधिकार अंकित नहीं है। चूंकि इसका मांग 1973–74 से गठित की गयी है और पहली लगान रसीद में तिथि एवं माह अस्पष्ट है। किन्तु वर्ष 1974 दिखलायी पर रही है। अब यह मांग वर्ष 1973–74 में गठित होना उचित आधार एवं सक्षम प्राधिकार के समक्ष उसकी प्रस्तुती, विचारण एवं आदेश होना आपेक्षित है जो कि जमाबंदी सं0 132 में नहीं है। पुनः यह भी विचारणीय है कि इससे सृजित होने वाली जमाबंदी सं0 4316 में खाता 205 खेसरा 1239 दर्ज है। जबकि इसकी खारिज जमाबंदी नं0 में कोई खाता खेसरा दर्ज नहीं हैं। यदि यह मान भी लिया जाय कि खाता–205 खेसरा 1839 जमाबंदी नं0–132 से जमाबंदीदार की रैयती भूमि थी तो भी यह विसंगति है कि उक्त जमाबंदी का वसौड़ी रकवा 0–5–15 स्थल पर अमीन मापी में खाता–373 खेसरा 1922 एवं 1923 की भूमि पायी गयी है, जो खतियान में गैरमजरूआ खास है तथा जिसकी जमाबंदी बनाने खातिर सक्षम	

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	प्राधिकार का आदेश होना आपेक्षित है। पुनः यदि यह भी मान लिया जाय कि जमाबंदीदार को प्रश्नगत भूमि भूतपूर्व जमीनदार के द्वारा बंदावस्त थी तो भी उसका रिटर्न–I में नाम आ जाता तथा जमाबंदी गठन वर्ष 1953–54 में हो जाता। सुनवाई के दौरान भी विपक्षी के द्वारा स्पष्ट आक्षेपित होते हुए भी न तो बहस में और ना ही लिखित दलील में कही भी इस विसंगति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। उन्होंने मात्र इतना ही अंकित किया है कि जमाबंदी सं0 132 वसौड़ी की जमीन है। किन्तु अमीन मापी प्रतिवेदन की स्थिति को नजर अंदाज कर दिया गया है। उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जमाबंदी सं0 132 का गठन अनियमित तरीके से किया गया है। जो बिहार दाखिल खारिज अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों को आकृष्ट करता है। किन्तु यह भी विचारणीय है कि यह जमाबंदी वर्ष 1973–74 में गठित हुयी और पहली लगान रसीद 1973–74 में निर्गत है। इससे स्पष्ट है कि पुरानी जमाबंदी है। विभागीय संकल्प 925 दिनांक–11.11.14 की स्पष्टीकरण कंडिका–च में उल्लेखित है कि यदि गैरमजरूआ मालिक भूमि किसी रैयत को सरकार द्वारा बन्दोवस्त है और उसके इतर किसी अन्य रैयत का दखल कब्जा है, तो बन्दोवस्ती अहस्तांतरणीय होने के कारण उक्त रैयत का रैयती दावा मान्य नहीं किया जाएगा। अतः यथा उपर्युक्त अंचल अधिकारी, खगड़िया के प्रतिवेदन के आलोक में मौजा–मथुरापुर की जमाबंदी सं0 132 पर असालतन स्थगन आदेश निर्गत किया जाता है। साथ ही इस जमाबंदी से सृजित होने वाली अन्य जमाबंदी पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव होगा। जमाबंदी सं0 132 के जमाबंदीदार को निदेशित किया जाता है कि वे अपनी भूमि का स्वत्व अधिकार सक्षम न्यायालय में घोषित कराते हुए अंचल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। ताकि उनकी रैयती अधिकार पुनर्जीवित किया जा सके। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, खगड़िया को अनुपालनार्थ भेंजे। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, खगड़िया। अपर समाहर्त्ता, खगड़िया। 28/7 डी० वी० न० 469, दिनांक 28/8/21, प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि :- NIC खगड़िया वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित। अपर समाहर्त्ता खगड़िया	